संख्या- 1/1388/26-3-2013-4(188)/93-टी0सी0

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण/जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 06 सितम्बर, 2013

विषय :- उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के पुत्रियों की शादी एवं इलाज हेतु आय सीमा संबंधी प्रमाण पत्र के विकल्प के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-241/स0क0/विकास/2013-14, दिनांक 14 जून, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- 1139/26-3-2011-4(188)/93 दिनांक 10 मई, 2011 द्वारा उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे परिवार/व्यक्ति जिनके पास बी0पी0एल0 कार्ड है या बी0पी0एल0 सूची में उनका नाम अंकित है अथवा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना (वर्तमान नाम रानी लक्ष्मी बाई पेंशन योजना), वृद्धावस्था पेंशन निराश्रित पेंशन एवं विकलांग पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें शादी/बीमारी अनुदान योजनान्तर्गत सहायता राशि प्राप्त करने के लिए आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता से छूट प्रदान की गयी थी और यह व्यवस्था दिनांक 30 जून, 2012 तक के लिए लागू की गयी थी।

3- शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त व्यवस्था में अन्त्योदय कार्ड धारकों को भी सम्मिलित करते हुए निम्न प्रकार के आवेदकों को शादी/बीमारी अनुदान योजनान्तर्गत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनिवार्यता से छूट प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(1) बी0पी0एल0कार्डधारक।
(2) बी0पी0एल0 सूची 2002 में अंकित लाभार्थी।
(3) रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के लाभार्थी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थी।

(5) निराश्रित विधवा पेंशन के लाभार्थी।

(6) विकलांग पेंशन के लाभार्थी।

(7) अन्त्योदय कार्ड धारक के लाभार्थी।

4- उपरोक्त 07 प्रकार के लाभार्थियों को शादी/बीमारी अनुदान योजनान्तर्गत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की छूट इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि शादी/बीमारी अनुदान योजना हेतु निर्धारित आय सीमा (ग्रामीण क्षेत्रों में रू0 19884/- प्रतिपरिवार, प्रति वर्ष तथा शहरी क्षेत्रों में रू0 25546/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष) उपरोक्त 07 प्रकार के लाभार्थी हेतु भी निर्धारित है या उक्त 07 प्रकार के लाभार्थियों हेतु निर्धारित आय सीमा शादी/बीमारी अनुदान योजना हेतु निर्धारित आय सीमा से कम है तथा वे वास्तव में बीमार हों अथवा उनके यहाँ विवाह का आयोजन प्रस्तावित हो, जिनके बारे में पुष्टि/सत्यापन का कार्य संबंधित अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस योजना की शेष अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

5- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या- 1769/दस-2013, दिनांक 03 सितम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी की जा रही है।

भवदीय,

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या- 1388(1)/26-3-2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उपनिदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
7. वेब मास्टर, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
उपसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in